नम्बर / वर्ष 207 / 2012

अनवानी कालूसिह बनाम भवरसिह आदि

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
16.5.24	आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी / प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी ने वाद धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि साबिका खसरा न0 99 की 36.14 बीधा रोही मौजा देईदास बन्नेसिह पुत्र डूंगरसिह पि0 बीडदसिह की सम्वत 2012 से पहले की कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी तथा दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार थे पैमाईश हाल में साबिका खसरा न0 99 की 36.14 बीधा रोही मौजा देईदास को हाल खसरा न0 222 की 2.05 बीधा , खसरा न0 328 की 33.09 बीधा कुल 35.14 बीधा में पैमुद किया गया है। बन्नेसिह अपने अकेले के 555 हिस्सा पैमाईश अधिकारीयों से मिलकर गलत तौर से दर्ज करवा आदी कथन किये जाकर खाता संख्या 133 / 131 के खसरा न0 220 / 0.5690हैक व खसरा न0 328 / 8.4600हैक कुल 9.0260हैक रोही मौजा देईदास के वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 , 8 तीनो का 357 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का 357 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार है का अनुतोष चाहा गया है। वादी के वाद का प्रतिवादी ने जबाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा न0 99 की 36.14 बीधा भूमि के निस्फ हिस्सा में से 9.18 बीधा वादी के पिता डूगरसिह वल्द बिडदसिह ने घरू आवश्यकता के लिये प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता बन्नेसिह वल्द बिडदसिह को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 15.07.1968 को बेय कर दी तथा वरवक्त पैमाईश खसरा न0 222 की 2.05 बीधा , खसरा न0 328 की 35.09 बीधा कुल 35.14 बीधा कुल 714 हिस्सा बनते है जिसमें से 357 हिस्सा में वादी के पिता ने 9.18 बीधा भूमि यानी 198 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को बेय कर दिया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को 555 हिस्सा विधिक तौर स सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसलिये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 का वाद लाने से वादी एक्सटोपल है। वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के पिता 8 के पति ने रोही मौजा देईदास के खसरा न0 99 की 36.14 बीधा में से 9.18 बीधा भूमि यानी 198 हिस्सा भूमि बन्नेसिह पुत्र डूंगरसिह को बैय कर दी थी प्रतिवादीगण 1 ता 6 के पिता बैय करने के उपरान्त वादी के पिता 159 हिस्सा सही तौर से दर्ज है जमाबन्दी में वर्तमान में 555 हिस्सा प्रतिवादीगण के सही तौर से दर्ज है वादी केवल 159 हिस्सा का ही खातेदार काश्तकार है। वादी के पिता ने 9.18 बीधा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता को दिनांक 15.07.1968 को बैय करने पर उसी दिन से खातेदार काश्तकार हो गये थे और कब्जा प्रतिवादीगण के पास चला गया था। वादी को कॉज ऑफ एक्शन हासिल नही है वादी के पिता ने स्वय भूमि बैय करने के [illegible] पुनः [illegible] भूमि पर लाने का अधिकार नही है तथा बैयनामा की अव[illegible] 30 [illegible] से अधिक होने से भारतीय साक्ष्य अधिनियम [illegible] धारा 90 [illegible] है। वाद न्यायालय के [illegible] है 50 वर्ष पूर्व [illegible] भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 7 के पिता [illegible] तरतीबी प्रतिवादी सं[illegible] 8 के पति ने भूमि का बेचान कर दिया उसके निरस्त व शुन्य घोषित करवाये बगैर वादी को वाद लाने की अधिकारिता नही है इसलिये वाद	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
टोंक

वैध बैयनामा के होते वाद वादी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का नही है अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी / वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बिना किसी नियम कानुन कायदे के पेश किया गया है दावा अप्रार्थीगण इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा के तहत पेश किया गया है जिसको सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की दफा 207 व शिडयूल थर्ड में दर्ज है प्रार्थीगण वादीगण के दावा में विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न निहित है जिसको वाद तनकीआत व साक्ष्य लिया जाकर तनकी वाईज निर्णय किया जाना आवश्यक हे तथा ऐसे सरसरी प्रार्थना पत्र पर दावा काननून खारिज नही किया जा सकता है केवल प्रार्थी / प्रतिवादीगण ने अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिये पेश किया गया है अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण / प्रतिवादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार

वादी ने अपने वाद में अंकित किया गया है कि साबिका खसरा न0 99 की 36.14 बीधा भूमि बन्नेसिह डुगरसिह पि0 बीडदसिह बहिब सम्वत 2012 से पूर्व के खातेदार काश्तकार थे।

आराजी साबिका खसरा न0 99 की 36.14 बीधा भूमि रोही मौजा देईदास के पैमाईश हाल खसरा न0 222 की 2.05 बीधा व खसरा न0 328 की 33.09 बीधा राही मौजा देईदास में पैमुद किये गये थे।

रोही मौजा देईदास के खसरा न0 222 की 2.05 बीधा खसरा न0 328 की 33.09 बीधा कुल 35.14 बीधा भूमि के कुल 714 हिस्सा बनते है जिसमे बन्नेसिह 357 हिस्सा तथा डूगरसिह ने 357 हिस्सा बनते है।

बनेसिह का कथन है कि डूगरसिह ने बन्नेसिह के 357 हिस्सा के स्थान पर 159 हिस्से एव अपने 555 हिस्सा पैमाईश के दौरान गलत तौर से दर्ज करवा लिये जिसे संशोधन करवाना चाहता है यही वादी का अनुतोष है।

बन्नेसिह वादी का अनुतोष सन्तोषजनक नही है वादी का कथन की बन्नेसिह डुंगरसिह पि0 बिडदसिह बहिब सम्वत 2012 से पूर्व के खातेदार काश्तकार होना व पैमाईश हाल में पूर्व खसरो का हाल खसरों में परिर्वतन होना एव वाद भूमि के कुल हिस्से 714 होने तक स्वीकार है अन्य तथ्य स्वीकार योग्य नही है।

प्रार्थी / प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के अनुसार बन्नेसिह ने अपने हक हिस्सा की भूमि में से 9.18 बीधा दिनांक 15.07.1968 को जरिये रजिस्ट्रर्ड बेयनामा के डंगरसिह को बेचान की गई है जो प्रस्तुत बेयनामा से पूर्णत्या साबित है अर्थात बन्नेसिह ने अपने हिस्से 357 में से 198 हिस्सा भूमि का बेचान डंगरसिह को किया जा चुका है बन्नेसिह के द्वारा बेचान करने के बाद शेष 159 हिस्सा ही शेष रहता है जो जमाबन्दी में दर्ज है।

इसप्रकार बन्नेसिह के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में से 9.18 बीधा भूमि बेचान करने के बाद शेष रहा हिस्सा सही तौर से दर्ज है तथा डंगरसिह के द्वारा भूमि खरीद करने के बाद 357+198 कुल 555 हिस्सा बनता है जो सही तौर से जमाबन्दी में दर्ज है।

वादी ने अपना वाद हिस्सा कम से कम करवा कर अपने हकों की घोषणा का पेश किया गया है वाद में कही भी यह अंकित नही किया की बन्नेसिह ने भूमि का बेचान डूगरसिह को करने के बाद शेष हिस्सा जमाबन्दी में दर्ज हुआ है जो सही तौर से दर्ज है वादी न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आया है।

वादी के द्वारा चाहा गया अनुतोष दिये जाने का अर्थ है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बन्नेसिह ने डंगरसिह को करवाया गया बैयनामा खरिज करना जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही है वादी ने बेयनामा करवाने के 30 सालों बाद वाद पेश किया गया है जो मियाद बाहर है देरी से वाद पेश करने का कोई सन्तोषजनक कारण भी व्यक्त नही किया गया है।

बन्नेसिह के द्वारा करवााय गया बेयनामा दिनांक 15.07.1968 जब तक बैध एव प्रभावी तब तक बन्नेसिह जमाबन्दी में अपने हिस्से संशोधन करवाने का अधिकारी नही है बैयनामा निरस्त किये बिना वादी किसी प्रकार का अनुतोष इस न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन से साबित हो चुका है कि जमाबन्दी में हिस्सा कस्सी सही तौर से दर्ज है जब तक बन्नेसिह के द्वारा करवाया गया बैयनामा दिनांक 15.07.1968 प्रभावी है वादी किसी प्रकार का अनुतोष इस न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नही है क्योकि जमाबन्दी में अंकन बेयनामा के आधार पर ही हुआ है बेयनामा निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नही है अर्थात वाद वादी इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है

अतः प्रार्थी/प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र/वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:25 IST
Reason: SelfAttested